

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 50

01.12.2025 को उत्तर के लिए

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

50. श्रीमती भारती पारधी :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे :
श्री नरेश गणपत म्हस्के :
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मौजूदा स्थिति का आकलन किया है, जिनमें कुल उत्पन्न हुए, अलग किए गए (सूखे/गीले) और पुनर्चक्रित अपशिष्ट का राज्य-वार/संघ-राज्यक्षेत्र-वार आंकड़े शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने तथा घरों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से सूखे एवं गीले अपशिष्ट को अलग-अलग एकत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या अपशिष्ट पुनर्चक्रण को कम करने और पुनः उपयोग की दरों को बढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित नीतियां, प्रोत्साहन या जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) नगरपालिका के प्रदर्शन पर नज़र रखने और उसे पुरस्कृत करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (ङ) नागरिक भागीदारी और डेटा आधारित निगरानी सहित अपशिष्ट रोकथाम और पृथक्करण हेतु भारत में अपनाई गई सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणालियों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में अपशिष्ट सृजन को कम करने, पुनर्चक्रण को बढ़ाने और स्वच्छतर वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कौन सी दीर्घकालिक रणनीतियां प्रस्तावित की गई हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी गई जानकारी के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत देश में उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट 1,85,195 टीपीडी, एकत्र किया

गया अपशिष्ट 1,79,479 टीपीडी, संसाधित/शोधित अपशिष्ट 114,110 टीपीडी और गड्डों में भरा गया अपशिष्ट 39,629 टीपीडी है। उत्पन्न, एकत्रित और संसाधित कुल ठोस अपशिष्ट के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार डेटा अनुबंध में दिया गया है।

(ख): ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, स्थानीय प्राधिकरण और ग्राम पंचायतें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। नियमों में अपशिष्ट जनरेटरों को उनके द्वारा उत्पन्न कचरे को तीन अलग-अलग श्रेणियों अर्थात् बायो-डिग्रेडेबल, गैर-बायोडिग्रेडेबल और घरेलू खतरनाक कचरे में अलग करने तथा संग्रहीत करने और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना और निर्देशों के अनुसार अधिकृत अपशिष्ट बीनने वालों या अपशिष्ट कलेक्टरों को अलग-अलग कचरा सौंपने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, नियमों के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों और ग्राम पंचायतों को सभी परिवारों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर-आवासीय परिसरों से अलग किए गए ठोस कचरे के घर-घर संग्रह की व्यवस्था करने के लिए आदेश दिया गया है।

(ग): भारत सरकार देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) में 100% स्रोत पर पृथक्करण, घर-घर संग्रह और कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रसंस्करण, वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान और सभी लंबे समय से रखे गए अपशिष्ट डंपसाइटों के उपचार के माध्यम से "कचरा मुक्त शहर" बनाने का समग्र दृष्टिकोण है। स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण चरण II के तहत, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियां शामिल हैं।

(घ) से (च): संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को नियमों के अनुसार पर्यावरणीय मानकों और अपशिष्ट प्रसंस्करण शर्तों का पालन और निपटान स्थलों की निगरानी के लिए अधिदेशित किया गया है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा एसबीएम-यू 2.0 के तहत जीआईएस प्लेटफॉर्म आधारित ऐप के साथ एक स्वच्छता प्रबंधन प्लेटफॉर्म "स्वच्छताम" लॉन्च किया गया था, ताकि डेटा संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके और डिजिटल आदान प्रदान के माध्यम से पारदर्शिता बनाए रखी जा सके। इसके अलावा, एसबीएम 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी भारत में स्वच्छता परिणामों में तेजी लाने के लिए प्रतिस्पर्धी निगरानी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी प्रमुख पहलुओं में से एक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, अपशिष्ट पदानुक्रम को मान्यता देता है जिसके तहत ठोस अपशिष्ट को रोकथाम, कमी, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, रिकवरी और निपटान पर जोर देकर प्रबंधित किया जाना चाहिए, जिसमें रोकथाम सबसे पसंदीदा विकल्प है और लैंडफिल में निपटान सबसे कम है।

समग्र ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थिति (36 एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार) (टीपीडी में मूल्य)

क्र.सं.	राज्य	उत्पादित (टीपीडी)	संगृहीत (टीपीडी)	शोधित (टीपीडी)
1	आंध्र प्रदेश	6890	6890	6890
2	अण्डमान और निकोबार	77.3	77.3	72.22
3	अरुणाचल प्रदेश	215.02	202	44.49
4	असम	1224	1131	726
5	बिहार	5949	5949	1502.94
6	चंडीगढ़	578	578	130
7	छत्तीसगढ़	2455	2345	1904
8	दमन और दीप	269.02	269.02	216.49
9	दिल्ली	11342	11342	7542
10	गोवा	193.9	193.9	187.9
11	गुजरात	12000	12000	7571.832
12	हरियाणा	9662.21	7248.72	4859.31
13	हिमाचल प्रदेश	362.037	361.047	339.807
14	जम्मू और कश्मीर	1470.3	1468.3	283.5
15	झारखंड	2258	2033	1349
16	कर्नाटक	12140	12123	7694
17	केरल	3011.23	2595.225	2595.225
18	लद्दाख	12.454	12.454	7.254
19	लक्षद्वीप	18	18	18
20	मध्य प्रदेश	6853.5	6797	6526
21	महाराष्ट्र	24299.43	23974.73	19877.12
22	मणिपुर	290	197.27	230.4
23	मेघालय	179.12	150.5	65
24	मिजोरम	248.99	129.5	102.83
25	नागालैंड	303.865	260.028	121.62
26	ओडिशा	3622.788	3479.528	2809.258

क्र.सं.	राज्य	उत्पादित (टीपीडी)	संगृहीत (टीपीडी)	शोधित (टीपीडी)
27	पुडुचेरी	564	564	564
28	पंजाब	4860.04	4853.6	2110.74
29	राजस्थान	7909.385	7746.633	1747.72
30	सिक्किम	69.68	69.68	36.57
31	तमिलनाडु	17843.455	17400.66	9213.436
32	तेलंगाना	11714	11714	9440
33	त्रिपुरा	350.2	350.2	350.2
34	उत्तर प्रदेश	20114	20114	12675
35	उत्तराखंड	1773.4	1723.78	1006.34
36	पश्चिम बंगाल	14072.04	13116.77	3300
	कुल	185195	179479	114110
